सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 286 राँची, मंगलवार, 19 वैशाख, 1938 (श०)
9 मई, 2017 (ई०)

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

26 अप्रैल, 2017

विषय: झारखण्ड स्वास्थ्य सेवा, गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा एवं दन्त चिकित्सक संवर्ग के नियुक्ति में चलन अशक्तता के निःशक्तजनों के लिए 03 प्रतिशत पद आरक्षित करने के संबंध में ।

संख्या- 3/स्था० डी०-01-292/2013- 564(3)-- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-5671 दिनांक 4 जुलाई, 2016 के आलोक में निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार सुरक्षण एवं पूर्णभागीदारी) अधिनियम-1995 के तहत झारखण्ड सरकार के अधीन पदों एवं सेवाओं के रिक्तियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में निःशक्त जनों के लिए आरक्षण के संदर्भ में निम्न प्रावधान किये गये हैं:-

(क) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार सुरक्षण एवं पूर्णभागीदारी) अधिनियम-1995 की धारा 33 के अन्तर्गत राज्य सरकार के सभी विभागों कार्यालयों लोक उपक्रमों/निगमों/निकायों/बोर्डो के विभिन्न प्रकार के पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में तथा राज्य सम्पोशित सभी शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में कुल-03 प्रतिशत पद निःशक्त जनों के लिए आरक्षित होगा ।

(ख) यह आरक्षण क्षैतिज रूप से विनियमित होगा अर्थात् चयनित निःशक्त जन अगर अनारक्षित वर्ग का होगा तो आवश्यक सामंजन के पश्चात् उसे अनारक्षित वर्ग के रूप में तथा अगर किसी आरक्षित वर्ग का होगा तो आवश्यक सामंजन के पश्चात् उसे सम्बद्ध आरक्षित वर्ग के रूप में विनियमित किया जाएगा ।

(ग) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्र सं०-12165 दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 के आलोक में निज-मेधा (own merit) के आधार पर चयनित निःशक्त जनों की गणना, गैर-आरक्षित वर्ग में की जायेगी तथा निःशक्त जनों के लिए आरक्षित पद सीट के विरूद्ध चयन अलग से किया जाएगा ।

(घ) निःशक्त जनों के निम्न तीन प्रवर्गो के लिए रिक्त पद उपलब्ध सीट का एक-एक प्रतिशत आरक्षित रहेगा- अंधापन या कम दृष्टि, श्रवण अशक्तता एवं चलन अशक्तता तथा सेरेब्रल पाल्सी ।

2. उपर्युक्त कंडिका 1 (क) के अधीन किसी स्थापना का कोई पद/शैक्षणिक संस्थानों की कोई पाठ्य चर्चा यदि निःशक्त जनों के किसी खास प्रवर्ग या सभी प्रवर्गों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाय तो वैसे पदों के सम्पूर्ण कोटि के लिए अनुमान्य निःशक्त जन आरक्षण की प्रतिपूर्ति उन पदों में की जाय जिन पदों के लिए सम्बन्धित निःशक्त जन उपयुक्त समझा जाय ।

3. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (MCI) के पत्र संख्या- MCI-34(1)(Gen)/2009-Med/2569 दिनांक 21 अप्रैल, 2009 में Consideration of eligibility criteria – relaxation to be provided for physically handicapped persons having locomotory disability of lower limb के संदर्भ में उल्लेखित है कि:-

"It is only with person of lower limbs between 50% and 70% should be allowed the benefit of reservation under the Disabilities Act for admission in all the medical courses."

4. उच्चत्तम न्यायालय के द्वारा SLP (C) No. 7952-53/2005 में दिनांक 24 अगस्त, 2006 को पारित आदेश के क्रम में निम्नांकित अनुशंसा किया गया है:- "The present prescription of disability between 50% to 70% i.e. locomotory disability of lower limbs for receiving the benefits of admission in the medical courses should continue subject to modifications that in the event when there are not sufficient number of candidates having locomotory disability of lower limbs of 50% to 70% the unfilled seats should be filled up by the candidates having locomotory disability of lower limbs to the extent of 40% to 50% before they are converted into the open category seats…. "

5. MCI के दिशानिर्देश के क्रम में चिकित्सा महाविद्यालयों में केवल Locomotory disability of lower limbs के निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए नामांकन में 03 प्रतिशत सीट आरक्षित किये जाने का प्रावधान हैं । चूँकि M.B.B.S/B.D.S के पाठ्यक्रम में नामांकन केवल चलन अशक्तता अभ्यर्थियों का ही होता हैं ।

6. उक्त परिपेक्ष्य में दिनांक 20 अप्रैल, 2017 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त झारखण्ड स्वास्थ्य सेवा, गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा एवं दन्त चिकित्सक संवर्ग के क्रमशः चिकित्सा पदाधिकारी (मूल कोटि), विशेषज्ञ ग्रेड-2 (मूल कोटि) एवं दन्त चिकित्सक (मूल कोटि)/वरीय दन्त चिकित्सक/जिला दन्त चिकित्सा पदाधिकारी के नियुक्ति में भी केवल चलन अशक्तता के निःशक्तजनों के लिए 03 प्रतिशत पद आरक्षित किये जाने की अनुशंसा किया गया जिसे राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर त्रिपाठी,
अपर मुख्य सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 286--50